

कार्यालय जिला कार्यक्रम अधिकारी, देवरिया

पत्रांक C-2047 / जि0का0का0 / 2025-28 दिनांक

11- नवम्बर, 2025

विज्ञप्ति

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि शासनादेश संख्या-1/1092245/2025/3313 /58-1- 2025 (1917687) दिनांक 17.09.2025 में वर्णित व्यवस्थानुसार जनपद देवरिया के शहरी/ग्रामीण परिक्षेत्रों में संचालित बाल विकास परियोजना में रिक्त आंगनबाड़ी सहायिका की मानदेय पर आधारित पद हेतु केवल महिला अभ्यर्थियों से आवेदन पत्र आमन्त्रित किये जाते हैं। रिक्त पदों का परियोजनावार विवरण निम्नवत है-

परियोजना का नाम	आंगनबाड़ी सहायिका				
	अन्य पिछड़ा वर्ग	अनारक्षित	अनु0 जाति	अनुसूचित जन जाति	कुल योग
रुद्रपुर	29	44	17	0	90
बैतालपुर	22	29	8	0	59
बनकटा	9	15	4	0	28
भाटपार रानी	6	19	10	0	35
भटनी	6	22	7	0	35
भलुअनी	6	20	7	2	35
पथरदेवा	9	16	7	0	32
शहर	17	23	16	1	57
सदर	11	24	11	1	47
तरकुलवा	7	11	10	0	28
लार	14	17	7	0	38
भागलपुर	8	17	4	0	29
गौरी बाजार	14	26	12	0	52
देसही देवरिया	8	11	8	0	27
सलेमपुर	22	56	15	0	93
बरहज	23	36	19	0	78
रामपुर कारखाना	8	18	13	0	39
Grand Total	219	404	175	4	802

उपरोक्त पदों का ग्रामसभा/वार्डवार एवं आरक्षण सहित अर्हता का पूर्ण विवरण जनपद के कलेक्ट्रेट, विकास भवन, जिला कार्यक्रम कार्यालय, तहसील, नगर पालिका/नगर पंचायत विकास खण्ड, एवं समस्त बाल विकास परियोजना अधिकारी कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा की गयी है साथ ही आंगनवाड़ी भर्ती पोर्टल upanganwadibharti.in पर उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त आवेदक यदि चाहें तो रिक्ति सम्बन्धी जानकारी हेतु कार्यदिवस के दिन सम्बन्धित बाल विकास परियोजना अधिकारी कार्यालय अथवा जिला कार्यक्रम कार्यालय में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

- : विज्ञापित पदों की अर्हता एवं आवेदन पत्र भरने हेतु विशेष निर्देश :-

- 1 - विज्ञापित पदों हेतु केवल महिला अभ्यर्थी ही पात्र होंगे।
- 2 - चयन की समस्त कार्यवाही बाल विकास विभाग एवं पुष्ताहार, उ0प्र0 के शासनादेश संख्या-1/1092245/2025/3313/58-1- 2025 (1917687) दिनांक 17.09.2025 में वर्णित प्रक्रिया के अधीन होगी। उपरोक्त शासनादेश को उ0प्र0 शासनादेश की अधिकारिक वेबसाइट से प्राप्त किया जा सकता है।
- 3 - आंगनबाड़ी सहायिका की न्यूनतम शैक्षिक योग्यता इण्टरमीडिएट एवं उसके समकक्ष निर्धारित है।
- 4 - आंगनबाड़ी सहायिका के पद के लिये न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष तथा अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष निर्धारित है। आयु की गणना 01 जुलाई, 2025 से की जायेगी। अभ्यर्थी के जन्मतिथि के संबंध में हाईस्कूल अंकपत्र एवं प्रमाण पत्र में अंकित जन्मतिथि ही मान्य होगी।
- 5 - रिक्त आंगनबाड़ी सहायिका के पद पर आवेदन हेतु उसी ग्राम सभा तथा शहरी क्षेत्र हेतु उसी वार्ड का निवासी होना अनिवार्य है।
- 6 - विधवा अभ्यर्थी हेतु ग्राम पंचायत अधिकारी/सम्बन्धित नगर निकाय द्वारा निर्गत उसके पति का मृत्यु प्रमाण पत्र एवं परिवार पंजिका की प्रमाणित नकल मान्य होगी।
- 7 - तलाकशुदा/परित्यक्ता के सम्बन्ध में सक्षम न्यायालय द्वारा निर्गत विधिक आदेश ही मान्य होगा।
- 8 - आय के संबंध में उत्तर प्रदेश शासन के राजस्व अनुभाग-9 द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या-3959/1-9-11-राज-9 दिनांक 30.09.2011(यथासंशोधित) के क्रम में सक्षम स्तर से निर्गत आय प्रमाण ही मान्य होंगे जिनका आनलाइन सत्यापन सम्भव हो।

- 9 - निवास व जाति प्रमाण-पत्र के सम्बन्ध में तहसील से आनलाईन डिजिटल हस्ताक्षर से निर्गत निवास व जाति प्रमाण-पत्र ही मान्य होंगे, जिनका आनलाईन सत्यापन सम्भव हो।
- 10 - एक ही श्रेणी में एक से अधिक पात्र अभ्यर्थियों के उपलब्ध होने की सूची की दशा में सभी अभ्यर्थियों की मेरिट लिस्ट बनायी जायेगी। आंगनवाड़ी सहायिका के सभी पदों के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता इण्टरमीडिएट या समकक्ष एवं अधिकतम शैक्षिक योग्यता परास्नातक के आधार पर मेरिट तैयार की जायेगी।
- 11 - अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त अंक प्रतिशत को 10 से विभाजित करने पर जो उत्तर प्राप्त होगा, वही उसका अंक माना जायेगा अर्थात् यदि किसी अभ्यर्थी को इण्टरमीडिएट परीक्षा में 45 प्रतिशत अंक प्राप्त हुए हैं, तो उसे $45/10 = 4.5$ अंक प्राप्त होंगे, इसी प्रकार यदि किसी अभ्यर्थी को 59 प्रतिशत अंक प्राप्त हुए हैं, तो उसे $59/10 = 5.9$ अंक प्राप्त होंगे।
- 12 - इसी प्रकार ग्रेडिंग एवं सीजीपीए पद्धति में प्राप्त अंक भी आगणित किये जायेंगे। मेरिट सूची तैयार करने में दशमलव के तीन अंकों तक गणना की जायेगी। दशमलव के बाद के किसी भी अंक को पूर्णांकित नहीं किया जायेगा।
- 13 - आवेदन पत्र विभागीय वेबसाइट पर उपलब्ध फॉर्मेट पर ऑनलाईन व सही-सही सावधानी पूर्वक भरे जायेंगे। आवेदिका द्वारा अभिलेखों की स्वहस्ताक्षरित प्रति, जो स्वच्छ और पठनीय हो अपलोड की जायेगी, जिनका उल्लेख आनलाईन फॉर्म में किया गया है।
- 14 - कोई भी आवेदन या अभिलेख/प्रपत्र आफलाईन या डाक द्वारा प्रेषित किये जाने पर मान्य नहीं होंगे।
- 15 - यदि आवेदन में कोई त्रुटि होती है या कोई तथ्य/आंकड़े/शैक्षिक अभिलेखों के प्राप्तांक/पूर्णांक गलत या कूट रचित या प्रविष्ट आवेदन से अलग पाये जायेंगे, तो अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा।
- 16 - विज्ञापित पदों हेतु पर आन लाईन आवेदन हेतु अन्तिम तिथि दिनांक 01.12.2025 को मध्यरात्रि 12:00 बजे तक होगी।
- 17 - उपरोक्त पदों पर चयन प्रक्रिया पूर्णतया पोर्टल से आनलाईन माध्यम से शासनादेश में वर्णित दिशा निर्देशानुसार सम्पादित होगी। इसके लिये किसी भी प्रकार की लिखित परीक्षा अथवा साक्षात्कार नहीं लिया जायेगा।
- 18 - आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री/सहायिका के वर्तमान चयन सम्बन्धी शासनादेश संख्या-शासनादेश संख्या-1/1092245/2025/3313/58-1-2025 (1917687) दिनांक 17.09.2025 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार उपरोक्त रिक्त पदों के चयन में ई0डब्ल्यू0एस0, विकलांग तथा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित का आरक्षण देय नहीं है।
- 19 - रिक्तियों की संख्या घट-बढ़ सकती है, जो वेबसाइट पर प्रदर्शित होगी।
- 20 - बाल विकास परियोजना शहर देवरिया में रैनियारी टोला वार्ड नं0-27 को रैनियारी टोला वार्ड नं0-29 पढ़ा जाय।
- आवेदक द्वारा आन लाईन आवेदन करते समय निम्न तथ्यों का विशेष ध्यान दिया जाय -
- 1 - समस्त प्रक्रिया आन-लाईन पोर्टल upanganwadibharti.in से होनी है। कोई भी आवेदन किसी भी किसी भी स्तर पर हार्ड कॉपी में नहीं प्राप्त किया जाना है।
- 2 - आनलाईन आवेदन करते प्रमाण पत्रों कमांक व शैक्षणिक अंकों, आय, जाति तथा निवास प्रमाण पत्र के आवेदन कमांक, पंजीकरण कमांक, निर्गत तिथि आदि का पोर्टल द्वारा ही आन लाईन सत्यापन किया जायेगा ऐसी स्थिति में किसी भी प्रकार की गलत प्रविष्टि होने पर अभ्यर्थन स्वतः ही निरस्त हो जायेगा, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं अभ्यर्थी का होगा।
- 3 - आंगनवाड़ी सहायिका की चयन की सम्पूर्ण प्रक्रिया विभागीय पोर्टल पर आनलाईन प्राप्त आवेदनों के आधार पर शासनादेश में उल्लिखित मेरिट प्रक्रिया एवं दी गयी वरीयता के आधार पर विभागीय पोर्टल से ही होनी है। अतः सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि किसी भी प्रकार के दलालों के प्रलोभन व लालच में न पड़ें व ऐसा करने वाले व्यक्तियों से सावधान रहें।

(आदीश मिश्रा)
जिला कार्यक्रम अधिकारी
देवरिया

पृष्ठांकन पत्र संख्या / तददिनांकित।
प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

- 1 :- निदेशक, बाल विकास सेवा एवं पुष्ठाहार, उ0प्र0 लखनऊ।
- 2 :- जिलाधिकारी महोदया, देवरिया।
- 3 :- मुख्य विकास अधिकारी महोदय, देवरिया।
- 4 :- समस्त बाल विकास परियोजना अधिकारी/प्रभारी जनपद-देवरिया को इस निर्देश के साथ कि अपने सम्बन्धित तहसील/ब्लाक/नगर पालिका/नगर पंचायत कार्यालय पर चस्पा कराना सुनिश्चित करें।
- 5 :- समस्त मुख्य कार्यालयों के सूचनापट्ट पर चस्पा हेतु।
- 6 :- जिला सूचना अधिकारी, देवरिया को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उक्त के सम्बन्ध में प्रचार-प्रसार हेतु जनपद के एक स्थानीय व एक राज्य स्तरीय सर्वाधिक प्रसारित दैनिक समाचार पत्र में सशुल्क विज्ञापित प्रकाशित कराने का कष्ट करें।

जिला कार्यक्रम अधिकारी
देवरिया